



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268930
CG-DL-E-30122025-268930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5910]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5910]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का. आ. 6110(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कच्चा तेल/गैस/पानी परिवहन के लिए मोभा 'टी' पोइन्ट से डबका जी.जी.एस. तक ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपावद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी परिसर, अंकलेश्वर 393010 (गुजरात) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

संख्या नं.	गाँव का नाम	सर्वे / ब्लॉक संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4	5	6
मोभा 'टी' पोइन्ट से डबका जी.जी.एस. तक					
तालुका : पादरा		ज़िला: वडोदरा	राज्य : गुजरात		
1	गवासद	722	00	19	44
		727	00	01	29
		728	00	01	21
		729	00	01	28
		730	00	02	43
		817	00	10	11
		752	00	09	27
		753	00	01	38
		754	00	01	07
		755	00	00	89
		756	00	03	70
		757	00	03	73
		760	00	13	31
		769	00	20	07
		771	00	06	78
		775	00	20	05
		778	00	07	02
		779	00	01	10
		790	00	03	88
		794	00	15	55
		793	00	09	54

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/43/2025-इएक्सपीएल- पीएनजी(ई-54903)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

S. O. 6110(E).— whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil/Gas/Water from **Mobha 'T' Point To Dabka GGS** should be laid by the Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas, it appears that Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., ONGC CAMPUS, ANKLESHWAR ASSET, ANKLESHWAR-393010 (GUJARAT).

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
MOBHA 'T' POINT TO DABKA GGS					
TALUKA : PADRA		DISTRICT : VADODARA		STATE : GUJARAT	
1	GAWASAD	722	00	19	44
		727	00	01	29
		728	00	01	21
		729	00	01	28
		730	00	02	43
		817	00	10	11
		752	00	09	27
		753	00	01	38
		754	00	01	07
		755	00	00	89
		756	00	03	70
		757	00	03	73
		760	00	13	31
		769	00	20	07
		771	00	06	78
		775	00	20	05
		778	00	07	02
		779	00	01	10
		790	00	03	88
		794	00	15	55
		793	00	09	54

[F. No. Expl-13011(26)/43/2025-EXPL-PNG (E-54903)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.